बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

श्री राजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, गृह जिला–बेगूसराय), आपूर्ति निरीक्षक के सरायरंजन, समस्तीपुर में पदस्थापन अवधि में इनके विरूद्ध 50,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं तत्क्रम में निगरानी थाना काण्ड संख्या–25/2022 दिनांक–31.05.2022, धारा–7(a)(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने संबंधी निगरानी विभाग से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2740 दिनांक–16.06.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3895 दिनांक–31.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(XI) के तहत श्री कुमार को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–25.07.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2190 दिनांक–01.09.2025 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(4) के आलोक में सेवा में पुनःबहाल करते हुए बर्खास्तगी की मूल आदेश की तिथि (25.01.2024) से निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2500 दिनांक–22.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार से लिखित अभिकथन की माँग की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–272 दिनांक–15.01.2026 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया।

उक्त के क्रम में श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा मुख्य रूप से अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समर्पित अपील अभ्यावेदन, जिसे अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्वीकार किया गया है, की पुनरावृत्ति करते हुए अंकित किया गया है कि प्रस्तुत मामला खानपुर, समस्तीपुर का है, जबकि मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खानपुर के पद पर कार्यरत/पदस्थापित ही नहीं था। अपितु जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु जाने के क्रम में निगरानी टीम द्वारा श्री रजनीश कुमार (प्रखंड कॉर्डिनेटर, खानपुर) के भ्रम में मुझे उठा लिया गया। उक्त के क्रम में श्री कुमार ने स्वयं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य का संदर्भ अंकित किया है कि प्रासंगिक मामले में आपराधिक कार्यवाही के निष्पादन तक

अनुशासनिक कार्यवाही को लंबित रखे जाने का विचार किया जा सकता है। यद्यपि श्री कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खानपुर के पद पर पदस्थापित नहीं रहे हैं तथा परिवादी से श्री कुमार का प्रत्यक्ष संबंध परिलक्षित नहीं हुआ है, तदापि श्री कुमार के जांघ के नीचे से रिश्वत की राशि 50,000/– रूपये की बरामदगी का पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम में अंकण तथा उक्त जी0सी0 नोटो की समानता प्री–ट्रैप मेमोरेंडम में प्रदर्शित होने से इनकी संलिप्तता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। फलतः प्रतिवेदित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने की श्रेणी में है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री राजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, गृह जिला–बेगूसराय), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, सरायरंजन, समस्तीपुर सम्प्रति बिरौल, दरभंगा को निन्दन (आरोप वर्ष 2022–23) एवं 02 वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया जाता है, जो निगरानी थाना काण्ड संख्या–25/2022 दिनांक–31.05.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

श्री कुमार को निलंबन अवधि में बितायी गयी सेवा के लिए अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–17/2022(खंड)– 3319 खाद्य, पटना/दिनांक–23/06/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा एवं समस्तीपुर सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अवर सचिव–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री राजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, गृह जिला–बेगूसराय), आपूर्ति निरीक्षक, बिरौल, दरभंगा, मोबाईल सं0–7004344651 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।